झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

पत्रांकः— 2/पी०एम०सी०/कार्य—526/2017— 51/1849 5 स्वी /राँची, दिनांक 01.02.2019

आंतरिक वित्तीय सलाहकार से औपचारिक रूप से परामर्शित

प्रेषक,

अरूण कुमार सिंह
सरकार के अपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार,
झारखण्ड
पो०—हिनू, राँची।

द्वारा :— **आंतरिक वित्तीय सलाहकार।**

विषय :— **पुतुंगरा सिंचाई योजना का पुनरूद्धार एवं मुख्य नहर का पक्कीकरण कार्य हेतु रू० 23.07 करोड़ (रू० तेईस करोड़ सात लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।**

आदेश—स्वीकृत।

2. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची प्रक्षेत्राधीन पश्चिम सिंहभूम जिलान्तर्गत पुतुंगरा सिंचाई योजना का पुनरूद्धार एवं मुख्य नहर का पक्कीकरण कार्य हेतु रू० 23.07 करोड़ (रू० तेईस करोड़ सात लाख) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. पुतुंगरा सिंचाई योजना निःसृत एकमात्र दाँयी मुख्य नहर की लम्बाई 13.73 कि०मी० तथा जलश्राव 1.80 क्यूमेक है एवं दांयी मुख्य नहर के 8.40 कि०मी० से निःसृत गुड़गाँव वितरणी की लम्बाई 2.356 कि०मी० तथा जलश्राव 0.215 क्यूमेक है।

योजना का रूपांकित सिंचाई क्षमता 1200 हेक्टेयर है। इस योजना से कुमारडुंगी एवं माझगाँव प्रखण्ड के तिलैपी, कुशमुण्डा, सदमसाई, बारूसाई, कोटाचारा, बालियापोसी, गुड़गाँव, खेरपाल ईत्यादि गाँवों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। इन ग्रामों में अधिकांश जनसंख्या लगभग 74% अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्गों की है।

4. योजना के मुख्य नहर, शाखा नहर तथा संरचनाओं के पुनरूद्धार कार्यों एवं मुख्य नहर के लाईनिंग कार्य हेतु प्रशासनिक स्वीकृति के लिये रू० 2307.03 लाख के प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति (Technical Sanction) मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची द्वारा निम्नवत् प्रदान की गयी है :—

Sl. No.	Component	Amount (in Lakh Rs.)
1	A- Preliminary	20.00
2	C- Works	20.74
3	D- Regulator and measuring devices	10.32
4	E-Fall	50.49
5	F- Cross - Drainage works	29.08
6	G- Bridge	6.70
7	L- Earth Work and Lining	2169.70
	Total :-	**2307.03**

5. योजना के पुनरूद्धार कार्य पूर्ण करने के पश्चात् योजना की ह्रासित 560 **हेक्टर** खरीफ सिंचाई क्षमता पुनर्बहाल हो सकेगा।

6. योजना का कार्य वित्तीय वर्ष 2018–19 में प्रारंभ कर अगले दो वर्षों में पूर्ण करने का कार्यक्रम है।

7. इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, चाईबासा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे।

योजना का कार्य मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची के प्रशासनिक नियंत्राधीन होगा।

8. इस योजना के कार्यान्वयन में विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत निदेशों एवं अन्य विहित प्रक्रियाओं का सम्यक रूप से अनुपालन करना अनिवार्य होगा। निर्माण सामग्रियों के ढुलाई की दूरी (lead) सामग्री उपलब्धता के अनुसार न्यूनतम रखा जाय, जिससे अधीक्षण अभियंता जाँच कर संतुष्ट हो लेंगे।

9. इस योजना पर होने वाला व्यय

मुख्य शीर्ष '4701' – मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय उप-मुख्य शीर्ष – 80 सामान्य, लघु शीर्ष –796– जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उपशीर्ष–54–सिंचाई योजना का ई०आर०एम०, विस्तृत शीर्ष–05 निर्माण, 45–निर्माण कार्य के अंतर्गत विकलनीय होगा। (विपत्र कोड– 49S-4701-80-796-54-05-45)

10. वर्ष 2018–19 के लिये प्रस्तावित बजट में पुरानी सिंचाई योजनाओं के ई०आर०एम० कार्य हेतु निम्नांकित प्रावधान है –

शीर्ष 49S – 4701 – 80 – 796 – 54 – 05 – 45 में रू० 20000.00 लाख

11. कार्य के प्राक्कलन एवं प्रमुख अवयवों की जानकारी प्रमण्डलीय आयुक्त को उपलब्ध करा दी जायेगी।

12. कार्य के लिये राशि की निकासी चाईबासा कोषागार, चाईबासा से की जायेगी।

13. राशि का आवंटन किसी भी स्थिति में बजट उपबंध के अन्तर्गत होगा।

14. राशि की निकासी वित्त विभाग की परिपत्र सं०–2561 दिनांक 17.04.98 एवं समय–समय पर निर्गत अन्य परिपत्रों के अधीन संबंधित कोषागार से की जायेगी।

15. झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम–174 का अनुपालन दृढ़ता से किया जाएगा।

16. प्रस्ताव पर राज्य योजना प्राधिकृति समिति एवं योजना –सह– वित्त मंत्री की स्वीकृति प्राप्त है।

17. इस पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

18. इसे आन्तरिक वित्तीय सलाहकार के द्वारा महालेखाकार झारखण्ड, पो०–हिंनू, राँची को संसूचित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

(अरूण कुमार सिंह) 21.1.19

सरकार के अपर मुख्य सचिव

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–526/2017– 51/18-19 पु.स्वी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :– आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग, राँची को दो अतिरिक्त मूल प्रतियों के साथ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची को प्रेषण हेतु/योजना –सह– वित्त विभाग (योजना प्रभाग), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–526/2017– 51/18-19 पु.स्वी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, चाईबासा कोषागार, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–526/2017– 51/18-19 पु.स्वी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव, जल संसाधन विभाग/अभियंता प्रमुख–I, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता, योजना, मोनिटरिंग एवं आयोजन, राँची/मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1/2, जल संसाधन विभाग, राँची/अधीक्षण अभियंता, जलपथ अंचल, चाईबासा/कार्यपालक अभियंता, जलपथ प्रमण्डल, चाईबासा/ ई० सुरेश प्रसाद भगत, कार्यपालक अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग प्र०–3, जल संसाधन विभाग, राँची को Online स्वीकृत्यादेश निर्गत करने हेतु/ वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग, राँची को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु/उप सचिव (अभियंत्रण)/प्रशाखा पदाधिकारी–7, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–526/2017– 51/18-19 पु.स्वी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :– उपायुक्त, पश्चिमि सिंहभूम को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसकी प्रतिलिपि अपने स्तर से जिलान्तर्गत माननीय सांसद एवं विधायक को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)

पत्रांकः– 2/पी०एम०सी०/कार्य–526/2017– 51/18-19 पु.स्वी. /राँची, दिनांक 01.02.2019

प्रतिलिपि :– मुख्य मंत्री के प्रधान सचिव, झारखण्ड, राँची/मंत्री, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

31/01/2019
(राजेन्द्र प्रसाद)
सरकार के उप सचिव (अभि०)